अनुसूची 14 –फारम सं०–562

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख...तक

जिला–..........राँची...................., दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–........47......................सन्–.....2019–20......... ।

वाद का प्रकार–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत दाखिल खारिज अपील वाद

अर्जीकार–उमेश चन्द्र महतो बनाम प्रतिपक्षी–अंचल अधिकारी, बुण्डू।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
29-09-2020		

आदेश

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–उमेश चन्द्र महतो, पिता–गणेश महतो, सा०–ताऊ, पो०+थाना–बुण्डू, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–181 R27/2018-19/बुण्डू में दिनांक–31.08.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
ताऊ	बुण्डू	27	10	1220	6.4 डीसमील,

चौहदीः– उ०–ताऊ मेन रोड, द०–प्लॉट नं०–1221 का अंश,
पू०–गोविन्द सिंह मुण्डा, प०–विक्रेता नीज।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने आवेदन में कहते हैं कि उपरोक्त भूमि अपीलार्थी ने दिनांक–15.04.2017 ई० को बुक नं०–1, भोलुम नं०–13 पेज नं०–195 से 252, डीड नं०–123/120 वर्ष 2017 ई० के क्रमांक पर केवाला पट्टा के द्वारा खरीद किए हैं। उक्त भूमि के नामांतरण आवेदन में निबंधन संख्या गलत होने के कारण नामांतरण आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज अपील वाद को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, बुण्डू को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

अभिलेखबद्ध निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–181 R27/2018-19/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार नामांतरण आवेदन ऑनलाईन प्राप्त है, जिसमें निबंधन संख्या गलत है। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
29-09-2020	अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनसे आवेदित भूमि से संबंधित मूल कागजात प्राप्त कर जाँच—पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे। अंचल अधिकारी, बुण्डू को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें। लेखापित एवं संशोधित। ह०/- 29/09 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)। ह०/- 29/09 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।	